



सर्वोच्च न्यायालय वधिकि सेवा समिति

प्रलिस के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय वधिकि सेवा समिति, [वधिकि सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987](#), सर्वोच्च न्यायालय, [राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण \(National Legal Services Authority - NALSA\)](#), राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरण (State Legal Services Authorities - SLISA) ।

मेन्स के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय वधिकि सेवा समिति, वधिकि सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987 ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई को **सर्वोच्च न्यायालय वधिकि सेवा समिति (Supreme Court Legal Services Committee - SCLSC)** के अध्यक्ष के रूप में नामति कयि गया है ।

सर्वोच्च न्यायालय वधिकि सेवा समिति क्या है?

■ पृष्ठभूमि:

- वधिकि सेवा समिति का **वचिर सबसे पहले 1950 के दशक में आया** था, वर्ष 1980 में तत्कालीन SC के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति की स्थापना की गई थी ।
- वधिकि सेवा समिति** को लागू करने वाली समिति ने पूरे भारत में वधिकि सहायता गतिविधियों की नगरानी शुरू कर दी ।

■ परिचय:

- SCLSC का गठन शीर्ष **अदालत के अधिकार क्षेत्र के तहत** आने वाले मामलों में “समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ” प्रदान करने के लयि **वधिकि सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987** की धारा 3A के तहत कयि गया था ।
- अधनियिम की धारा 3A में कहा गया है कि **राष्ट्रीय वधिकि सेवा प्राधकिरण (National Legal Services Authority - NALSA)** इस समिति का गठन करेगी ।
- इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय (SC) का वर्तमान न्यायाधीश, जो अध्यक्ष है, के साथ-साथ केंद्र द्वारा निर्धारति अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य शामिल होते हैं । अध्यक्ष और अन्य सदस्यों दोनों को **भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI)** द्वारा नामति कयि जाएगा ।
- इसके अलावा, CJI समिति में सचवि की नियुक्ति कर सकते हैं ।

■ सदस्य:

- SCLSC में **एक अध्यक्ष तथा CJI द्वारा नामति नौ सदस्य** शामिल होते हैं । समिति CJI के परामर्श से केंद्र द्वारा निर्धारति अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है ।
- इसके अतिरिक्त NALSA नियम, 1995 के नियम 10 में SCLSC सदस्यों की संख्या, अनुभव तथा अरहताएँ शामिल हैं ।
- 1987 अधनियिम की धारा 27 के तहत केंद्र को अधनियिम के उपबंधों को कार्यान्वति करने के लयि अधिसूचना द्वारा CJI के परामर्श से नियम बनाने का अधिकार है ।

वधिकि सेवा प्राधकिरण अधनियिम, 1987 क्या है?

■ परिचय:

- वर्ष 1987 में **वधिकि सहायता कार्यक्रमों को वैधानिक आधार** प्रदान करने के लयि वधिकि सेवा प्राधकिरण अधनियिम क्रयिान्वति कयि गया था । इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, **SC (अनुसूचति जाती)/ST (अनुसूचति जनजाति) तथा EWS (आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग)** श्रेणियों, औद्योगिक शर्मकों, दवियांगजनों सहति पात्र समूहों को नशुलक व सक्षम वधिकि सेवाएँ प्रदान करना है ।

■ NALSA:

- इस अधिनियम के तहत **वधिकि सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नगिरानी** व मूल्यांकन करने तथा वधिकि सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु नीतियों के नरिमाण के लिये वर्ष 1995 में **NALSA का गठन कया गया था**।
- वधिकि सहायता तथा सहयोग प्रदान करने के लिये अधिनियम के तहत एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की परकिलपना की गई।
- यह वधिकि सहायता योजनाओं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वति करने के लिये **राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरणों** एवं गैर-सरकारी संगठनों को **नधिवि अनुदान भी उपलब्ध कराता है**।

■ राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरण:

- इसके बाद, हर राज्य में NALSA की नीतियों और नरिदेशों को लागू करने, लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करने एवं लोक अदालतों का संचालन करने के लिये **राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरण (SLSA)** की स्थापना की गई।
- SLSA का नेतृत्व **संबंधति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं** और इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वरषिठ HC न्यायाधीश शामिल होते हैं। जबकि HC मुख्य न्यायाधीश SLSA के संरक्षक-प्रमुख हैं, CJI, NALSA के संरक्षक-प्रमुख हैं।

■ ज़िला कानूनी सेवा प्राधकिरण:

- इसी प्रकार, ज़िलों और अधिकांश तालुकों में **ज़िला कानूनी सेवा प्राधकिरण (District Legal Services Authorities-DLSA)** तथा तालुक कानूनी सेवा समतियों स्थापति की गई। प्रत्येक ज़िले में ज़िला न्यायालय परसिर में स्थति, प्रत्येक DLSA की अध्यक्षता संबंधति ज़िले के ज़िला न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- तालुका या उप-वभागीय कानूनी सेवा समतियों का नेतृत्व एक वरषिठ सविलि न्यायाधीश करता है। सामूहिक रूप से ये नकिया अन्य कार्यों के **साथ-साथ कानूनी जागरूकता शविरि आयोजति** करते हैं, मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करते हैं और प्रामाणति आदेश प्रतयिँ एवं अन्य कानूनी दस्तावेज़ों की आपूरति प्राप्ति करते हैं।

वे कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जो भारत में कानूनी सेवाओं के प्रावधान को अनविर्य बनाते हैं?

- भारतीय संवैधान के कई प्रावधानों में कानूनी सेवाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकति कया गया है। **अनुच्छेद 39A** में कहा गया है, **राज्य यह सुनश्चिति करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देगा और वशिष रूप से, उपयुक्त कानून या योजनाओं या कसिी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनश्चिति कया जा सके कि कसिी भी नागरकि को आर्थिक या अन्य वकिलांगताओं के कारण न्याय हासलि करने के अवसरों से वंचति नहीं कया जाए**।
- इसके अलावा, **अनुच्छेद 14 (समानता का अधकिर)** और **22(1)** (गरिफ्तारी के आधार के बारे में सूचिति होने का अधकिर) भी राज्य के लिये वधिकि के समक्ष समानता तथा समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली वधिकि प्रणाली सुनश्चिति करना अनविर्य बनाता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

Q1. राष्ट्रिय वधिकि सेवा प्राधकिरण के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2013)

1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमज़ोर वर्गों को निःशुलक एवं सक्षम वधिकि सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
2. यह देश भर में वधिकि कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिये राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरणों को नरिदेश जारी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)